क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02 07 24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी व मूल प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण ने ग्राम धणी के हाल खसरा नंबर 818 व 838 की पत्थरगढी का आवेदन किया था अब प्रार्थी खसरा नंबर 838 रकबा 0.42 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि की पत्थरगढी कराना नहीं चाहता है। अतः उक्त प्रकरण में खसरा नंबर 838 की भूमि को हटाये जाने के आदेश दिये जाने की दलील दी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा धारा 151 सीपीसी के जवाब मय उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर पत्थरगढी का आवेदन पेश किया है। जिसमें अब प्रार्थी ने धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नंबर 838 की भूमि की पत्थरगढी नहीं करवाने का निवेदन किया है। जिससे साबित है कि प्रार्थी का उद्देश्य केवल अप्रार्थी संख्या 01 को तंग व परेशान करने का है। अतः मूल पत्थरगढी प्रार्थना पत्र को खारिज कर नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के निर्देश दिये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाली को सीमाज्ञान के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसीलदार बाली के आदेश की पालना में पटवारी हल्का धणी द्वारा दिनांक 13.03.2023 को मौके पर जाकर ग्राम धणी के खसरा नंबर 818 का विभिन्न मुश्तकील बिन्दुओं से जरीब चलाकर खसरा संख्या 818 का सीमांकन करवाया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा ग्राम धणी के खसरा नंबर 818 का ही सीमाज्ञान कराया गया है। खसरा नंबर 838 का सीमाज्ञान नहीं कराया गया है परंतु पत्थरगढी के आवेदन पत्र में खसरा नंबर 818 व 838 दोनों का उल्लेख कर दिया गया है। अब प्रार्थी खसरा नंबर 838 को प्रार्थना पत्र से हटाना चाहता है जिस पर वकील अप्रार्थी की आपत्ति है कि उनका मूल पत्थरगढी आवेदन खारिज कर नये सिरे से आवेदन के लिये निर्देश दिये जावे। आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायसंगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा। इसके साथ ही धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार न्याय के उद्देश्य के लिये न्यायालय की अंतनिहित शक्ति को उपयोग में लेने की अधिकारिता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 की आपत्ति को खारिज करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुये पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा नंबर 838 को प्रार्थना पत्र से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। इसके साथ ही खसरा नंबर 818 का सीमाज्ञान प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 13.03.2023 को हो जाने से माफिक सीमाज्ञान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 के प्रावधानों अनुसार पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम धणी स्थित भूमि खसरा नंबर 818 व 817/1 के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 के तहत पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली आदेशानुसार पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner